(ख) और (ग) उक्त राज्य में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति निम्नलिखित गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को की जा रही हैं :

(1) बारामुरा विद्युत संयंत्र 0.13 मि.घन मी. प्रतिदिन

(2) रोखिया विद्युत संयंत्र 0.05 मि. घन मी. प्रतिदिन

इसके अतिरिक्त ईट के भट्टों और अन्य छोटे उपभोक्ताओं को 0.015 मि. घन मी. प्रतिदिन गैस दी जा रही हैं।

निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए गैस की उपलब्धता के बारे में संकेत दिया गया हैं।

(1) 500 मैगावाट एन.टी.पी.सी. पावर प्लांट।

(2) 75 मैगावाट विद्युत संयंत्र रोखिया और

(3) अगरतला नगर वितरण योजना।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, कहलगांव के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक अवकाश लिया जाना

1274. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, कहलगांव, बिहार के कर्मचारियों ने 4 और 5 मई, 1990 को सामूहिक अवकाश किन कारणों से लिया था ; और

(ख) उनकी मांगों के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही हैं ?

ऊर्जा मंत्री साथ में नागर विमानन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, कहलगांव, बिहार के कार्यपालक कर्मचारियों द्वारा अप्रैल 1990 मे सरकार द्वारा लागू संशोधित वेतन ढांचे, औद्योगिक मंहगाई भत्ता दरों आदि के विरोध में 4 तथा 5 मई, 1990 को सामूहिक अवकाश लिया गया था।

(ख) सरकार मामले की पुनरीक्षा करने के लिए सहमत हो गई हैं।

Regularisation of services of Junior Doctors

1275. SHRI S. K. T. RAMACHANDRAN: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 120 medical officers who were originally appointed on ad-hoc basis during the strike by junior doctors in CGHS in June, 1989 are still continuing in service;

(b) if so, what are the reasons for which their services are not being regularised though they have completed 240 days of continuous service;

(c) whether they are still being paid consolidated salary of Rs. 3200|- per mensem; and

(d) what are the reasons for which these doctors have not yet been granted fulfledged scale of pay and other amenities?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI RASHEED MASOOD): (a) As per latest information furnished by the hospitals concerned in Delhi, the number of ad-hoc medical officers appointed during the strike of Junior Residents and Senior Residents in the Central Govt. Hospitals and Delhi Administration hospitals in Delhi during 1989 and who are still continuing is 109.

(b) As per the terms of appointment, they were appointed for a period of six months in the first instance with effect from the date of joining, subject to certain conditions including the condition that their services can be terminated without assigning any reason by giving one months' notice or one month's pay in